

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)
अधिघोषणा

पटना दिनांक2011

सं० रा० चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि म्युनिशपल वार्ड नं०- 03, सीट नं०- 11, 12, 16, 17, थाना- जक्कनपुर, जिला पटना में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् मीठापुर उपरी पुल के करबिगहिया के तरफ से पहुँच पथ निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त वार्ड नं०-03, सीट नं०- 11, 12, 16, 17, के भीतर का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम-वेश 0.5736 एकड़ के बराबर होता है और जिसका सर्वे म्युनिशपल खेसरा संख्या- 11, 12, 13, 19, 202, 371, 372, 373, 375, 378, 425, 426, 428, 429, 430, 432, एवं 447 सभी अंश भाग वो सर्वे म्युनिशपल खेसरा संख्या- 15, 16, 20, 198, एवं 427 सभी पूर्ण भाग। जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है -

सीट नं०-11

उत्तर : सर्वे म्युनिशपल खेसरा संख्या- 13, 14, 12, 11, 7 सभी अंश भाग।

पूरब : सीट नं०- 7 का सिमाना।

दक्षिण : सीट नं०- 12 का सिमाना।

पश्चिम : सीट नं०- 12 का सिमाना।

सीट नं०- 12

उत्तर : म्युनिशपल खेसरा संख्या- 19

पूरब : सीट नं०-11 का सिमाना।

दक्षिण : म्युनिशपल खेसरा संख्या- 21

पश्चिम : म्युनिशपल खेसरा संख्या- 18, 250

सीट नं०- 16

उत्तर : सीट नं०- 17 का सिमाना।

पूरब : म्युनिशपल खेसरा संख्या- 202 एवं सीट नं०- 17 का सिमाना।

दक्षिण : म्युनिशपल खेसरा संख्या- 200, 202 का सिमाना।

पश्चिम : म्युनिशपल खेसरा संख्या- 199 एवं सीट नं०- 12, का सिमाना।

सीट नं०- 17


उत्तर : म्युनिशपल खेसरा 372, 371, 373, 375 378 सभी अंश भाग।

पूरब : म्युनिशपल खेसरा संख्या- 425, 426, 447, सभी अंश भाग।

दक्षिण : म्युनिशपल खेसरा संख्या- 428, 429, 430, 432 सभी अंश भाग।

पश्चिम : म्युनिशपल खेसरा संख्या- सीट नं०- 12, का सिमाना।

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग, जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो ले, लिए जायेंगे। यह घोषणा अधिनियम 1, 1894 की धारा 6 और अधिनियम 18, 1885 की धारा 3 के खंड (1) यथा संशोधित अधिनियम के धारा 4 सन् 1961 एवं सन् 1984 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे संबंध हो। भूमि का मानचित्र जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना के कार्यालय में देखा जा सकेगा।


समाहता,
पटना।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

E/-

सरकार के अवर सचिव

दि०- 01-01-13

- प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, समाहरणालय, पटना को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/समाहर्ता, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 4. समाहर्ता/अपर समाहर्ता तथा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 5. आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

6102
31/1/13
(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

0